Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 78–2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 19, 2021 (VAISAKHA 29, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 मई, 2021

पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009

क्रमांक 2901(CFMS)–प०पा०–4–2021/3127.— पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप–धारा (1) तथा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा झज्जर जिले को अश्व, प्रजाति के पशुओं में गलेंडर्स रोग से बचाव, नियन्त्रण के लिए एतद् द्वारा ''नियनि़त क्षेत्र'' घोषित किया जाता है, तथा घोड़े, गधे, खच्चर व अश्व प्रजाति के अन्य पशुओं की, जहां वे इस जिले में रखे गए हैं, से किसी अन्य स्थान पर राज्य के अन्दर या बाहर आवाजाही को प्रतिबन्धित किया जाता है। झज्जर जिले में इन पशुओं की दौड, मेले, प्रदर्शनी, खेल के आयोजन तथा एकत्रित करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं।

अंकुर गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 19th May, 2021

THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMAL ACT, 2009

No. 2901(CFMS)-AH-4-2021/3127.— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 read with Sub-section (1) and (2) of Section 7 of "The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009)", the Government of Haryana, hereby declares the District Jhajjar as "controlled area" for restriction of movement of equine species (horses, donkeys, mules) within or outside the district and bordering States to prevent, control and contain the Glanders disease. The holding of races, fair, exhibition, games and gathering of such animals in Jhajjar District is also prohibited.

ANKUR GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry & Dairying Department.

9172—C.S.—H.G.P. Pkl.